भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2317

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

गुजरात के किसानों के मुद्दे

2317. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के दाहोद संसदीय क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा गुजरात में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार द्वारा गुजरात के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों के लिए कोई योजना चलाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात के दाहोद संसदीय क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) : जी, हां। प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से सरकार किसानों जिसमें गुजरात के किसान भी शामिल हैं, को उनके फसल उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। सरकार ने 2025-26 के विपणन सीजन के लिए एमएसपी बढ़ाया है ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके। एमएसपी में निरपेक्ष उच्चतम वृद्धि सरसों के लिए घोषित की गई है जो 300 रूपये प्रति क्विंटल है, अगला क्रम मसूर का है जो 275 रूपये प्रति क्विंटल है। चना, गेंहू, कुसुम और जौ के लिए यह वृद्धि क्रमश: 210 रूपये प्रति क्विंटल, 150 रूपये प्रति क्विंटल, 140 रूपये प्रति क्विंटल और 130 रूपये प्रति क्विंटल है।

(ग) : जी, हां। सरकार द्वारा गुजरात सहित देश के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों के लिए कई स्कीम कार्यान्वित की गई हैं। कुछ प्रमुख स्कीमें निम्नानुसार हैं:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का लक्ष्य जल उपयोग दक्षता को और सिंचाई कवरेज (आच्छादन) को बढ़ाना है।
- रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (बारानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम) का लक्ष्य एक संधारणीय तरीके से बारानी क्षेत्रों के विकास को मुख्यधारा में लाना है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत किए गए प्रावधानों का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में अनियमित मानसून की स्थिति में उचित युक्तियां (हस्तक्षेप) आरंभ करना है।
- मृदा, वानस्पतिक आच्छादन और जल जैसे नष्ट हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और विकास के माध्यम से पारिस्थितिकीय संतुलन पुन: प्राप्त करने के लिए एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) है।
- जिला फसल आकस्मिकता योजनाएं जो आईसीएआर-केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA), हैदराबाद द्वारा विकसित की गई हैं जो स्थान-विशिष्ट सुधारात्मक उपाय तैयार करने के लिए हैं।

****